

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज बडगूर्जर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
335/2019	22/10/2019	11/12/2021

1. बबली पुत्री यादराम जाति अहीर निवासी नाहरखेडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल पत्नी शमसेर जाति अहीर निवासी अहीर बासना तह0 कोटकासिम जिला अलवर, राज0

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0
प्रतिवादी

दावा- इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थिति:- श्री अरुण पण्डित एडवोकेट वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 11/12/2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी, वादीया के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 165/0.46, 167/0.40, का 1/48 भाग, 297/0.46, का 1/24 भाग, 3/0.48, 4/0.48, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा व 296/0.45, 298/0.46, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा व 299/0.47, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा, 181/0.16, 182/0.15, 183/0.31, 184/0.32, 185/0.29, 186/0.29, का 1/48 भाग, 166/0.05, का 1/96 भाग वाके ग्राम नाहरखेडा तहसील मुण्डावर व हाल ख0नम्बरान 67/0.13, 68/0.19, 69/0.19, 70/0.54, का 1/96 भाग व 64/0.13, 65/0.13, 66/0.13, का 1/96 भाग व ख0न0 247/0.18, 248/0.19, का 1/96 भाग व ख0न0 77/0.62, का 1/96 भाग व ख0न0 76/0.68, 78/0.71, का 1/96 भाग व 30/0.38, 31/0.37, 32/0.38, 38/0.46, का 1/96 भाग, वाके ग्राम आमोठ तहसील मुण्डावर व हाल ख0नम्बरान 629/1.14, 630/1.15, 631/1.07, 631/834 रकबा 0.01, 632/0.51, 633/0.15, 634/0.34, 634/0.06, का 1/96 भाग व ख0न0 784/0.73 हैव0, का 1/96 भाग वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 अंकित करते हुये उपरोक्त विवादित आराजीयतात वादीया के पिता यादराम के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है, तथा पिता की फौतगी के बाद आराजी जरिये विरास्त मिन वादीया व इसी प्रकार मिन वादीया के पिता के अन्य वारिसान को प्राप्त हुयी है, तथा मिन वादीया अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा अन्य सहखातेदारान से मोका पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए सहखातेदारान को दावा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक यादराम की विरास्त का इन्तकाल दर्ज करते समय मिन वादीया को बिना बुलाए व बिना सुनवाई का अवसर दिये, मिन वादीया के नाम विरास्त इन्तकाल दर्ज कर दिया गया, जिसमें मिन वादीया का नाम बबली के स्थान पर बबीता खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया। जिस अंकन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिन वादीया को भारी नुकसान हो रहा है तथा आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है, आदि का अंकन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में अंकित मिन वादीया का नाम बबीता पुत्री यादराम को हजफ कर, उसके स्थान पर बबली पुत्री यादराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलवी प्रतिवादी स0 1 द्वारा बाद तलवी जवाब पैरोकार पेश हुआ, मुताबिक जवाब पैरोकार जिम्मन न0 1 व 2 की हद तक स्वीकार अंकित करते हुये जिम्मन न0 3 ल0 7 वादी स्वयं सिद्ध करे, अस्वीकार है एवं जिम्मन न0 8 व 9 न्यायालय के क्षेत्राधिकार बाबत है, का अंकन करते हुये जिम्मन न0 10 अंकित करते हुये वादी अपने दावे को स्वयं सिद्ध करे का अंकन करते हुये जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली है।

वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप इन्तकाल स0 84, प्रदर्श-1 किता 2, नकल जमाबन्दी सम्यत 2069- ल0 2072 प्रदर्श-2, किता 8, विरास्त का इन्तकाल स0 2 वाके ग्राम भानोत प्रदर्श-3, नकल

मुण्डावर(अलवर) राज0

जमाबन्दी सम्वत 2070 ल0 2073 वाके ग्राम आमोठ प्रर्दश-4, किता 7, इन्तकाल स0 639 वाके ग्राम भानोत प्रर्दश-5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 ल0 2073 वाके ग्राम भानोत प्रर्दश-6, किता 3, पेश किये है, तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, की छाया प्रतिया पेश किये, तथा सरपंच ग्राम पंचायत तिगावा पं0स0कोटकासिम द्वारा जारी बबली नाम का प्रमाण पत्र, पेश किया, जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बबली पी. डब्लू-1 एवं शपथ अनिता पी.डब्लू-2 पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। द्वौराने बहस वकील वादीया ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को द्वौराते हुये अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्रों को निवेदित करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत हो रहे अंकन वादीया के नाम बबीता पुत्री यादराम को हजफ कर, उसके स्थान पर बबली पुत्री यादराम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर वादीया के वाद को डिकी किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीया की ध्यानपूर्वक बहस सूनी गयी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरान्त वादीया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया द्वारा हाल आराजी ख0न0 165/0.46 , 167/0.40, का 1/48 भाग, 297/0.46, का 1/24 भाग, 3/0.48 , 4/0.48 , का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा व 296/0.45, 298/0.46, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा व 299/0.47, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा, 181/0.16 , 182/0.15, 183/0.31, 184/0.32, 185/0.29, 186/0.29, का 1/48 भाग , 166/0.05, का 1/96 भाग वाके ग्राम नाहरखेडा तहसील मुण्डावर व हाल ख0नम्बरान 67/0.13, 68/0.19, 69/0.19, 70/0.54, का 1/96 भाग व 64/0.13, 65/0.13, 66/0.13, का 1/96 भाग व ख0न0 247/0.18, 248/0.19, का 1/96 भाग व ख0न0 77/0.62, का 1/96 भाग व ख0न0 76/0.68, 78/0.71, का 1/96 भाग व 30/0.38, 31/0.37, 32/0.38, 38/0.46, का 1/96 भाग, वाके ग्राम आमोठ तहसील मुण्डावर व हाल ख0नम्बरान 629/1.14, 630/1.15, 631/1.07, 631/834 रकबा 0.01, 632/0.51 , 633/0.15, 634/0.34, 634/0.06, का 1/96 भाग व ख0न0 784/0.73 हैव0, का 1/96 भाग वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर के बाबत के नाम दुरुस्ती के वादीया के वाद को वादीया द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादीया डिकी किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम बबीता पुत्री यादराम नाम के अंकन को हजफ कर, बबीता पुत्री यादराम के स्थान पर बबली पुत्री यादराम नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । तददानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 11/12/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, सुनाया गया।

(पंज बडगुजरी) उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0
जिला अलवर, राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज बडगूर्जर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
335/2019	22/10/2019	11/12/2021

2. बबली पुत्री यादराम जाति अहीर निवासी नाहरखेडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल पत्नी शमसेर जाति अहीर निवासी अहीर बासना तह0 कोटकासिम जिला अलवर , राज0

वादीया

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0
प्रतिवादी

दावा- इश्तकरारहक मय दूररुस्ती राजस्व रिकॉर्ड

-: पर्चा डिक्री :-

वादीय की ओर से एडवोकेट श्री अरूण पण्डित की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/12/2021 को पंकज बडगूर्जर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत मे अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-न्यायालय वादीया के वाद को डिक्री किये जाने योग्य पाता है। अतः हाल ख0न0 165/0.46 , 167/0.40, का 1/48 भाग, 297/0.46, का 1/24 भाग, 3/0.48 , 4/0.48 , का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा व 296/0.45, 298/0.46, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा व 299/0.47, का 1/24 भाग दर 1/2हिस्सा, 181/0.16 , 182/0.15, 183/0.31, 184/0.32, 185/0.29, 186/0.29, का 1/48 भाग , 166/0.05, का 1/96 भाग वाके ग्राम नाहरखेडा तहसील मुण्डावर व हाल ख0नम्बरान 67/0.13, 68/0.19, 69/0.19, 70/0.54, का 1/96 भाग व 64/0.13, 65/0.13, 66/0.13, का 1/96 भाग व ख0न0 247/0.18, 248/0.19, का 1/96 भाग व ख0न0 77/0.62, का 1/96 भाग व ख0न0 76/0.68, 78/0.71, का 1/96 भाग व 30/0.38, 31/0.37, 32/0.38, 38/0.46, का 1/96 भाग, वाके ग्राम आमेट तहसील मुण्डावर व हाल ख0नम्बरान 629/1.14, 630/1.15, 631/1.07, 631/834 रकबा 0.01, 632/0.51 , 633/0.15, 634/0.34, 634/0.06, का 1/96 भाग व ख0न0 784/0.73 हैव0, का 1/96 भाग वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर में वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादीया डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम बबीता पुत्री यादराम नाम के अंकन को हजफ कर, बबीता पुत्री यादराम के स्थान पर बबली पुत्री यादराम नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद कर, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

मुण्डावर (अलवर) राज0